



पंजीकरण  
15.08.2022  
से  
15.10.2022  
तक

आवेदन मात्र  
ऑनलाइन  
मध्यम से

# अवघ विहार योजना

सेक्टर-4, लखनऊ में



## LIG एवं MIG भवन पाने का सुनहरा अवसर

### सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग फिनिशड भवनों का विवरण

36/60 प्रकार के भवन (34 नग)

प्लॉट एरिया 36.58 वर्ग मी०,  
कारपेट एरिया 28.84 वर्ग मी०  
**क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०**

**अनुमानित मूल्य**  
(एकमुश्त भुगतान पर)  
₹ 33.74 लाख  
(किस्तों पर आवंटन हेतु)  
₹ 35.46 लाख

**पंजीकरण धनराशि**  
(सामान्य श्रेणी) ₹ 3.38 लाख  
(आरक्षित श्रेणी) ₹ 1.69 लाख

किस्तों पर आवंटन के विकल्प की दशा में पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त 30 दिन में जमा की

जाने वाली प्रथम किस्त की अनुमानित धनराशि (₹ लाख)  
(सामान्य श्रेणी) ₹ 7.10 लाख  
(आरक्षित श्रेणी) ₹ 8.87 लाख

ब्याज सहित अवशेष धनराशि का भुगतान 144 समान मासिक किस्तों में

38/63 प्रकार के भवन (40 नग)

प्लॉट एरिया 37.50 वर्ग मी०,  
कारपेट एरिया 30.39 वर्ग मी०  
**क्षेत्रफल 62.72 वर्ग मी०**

**अनुमानित मूल्य**  
(एकमुश्त भुगतान पर)  
₹ 35.36 लाख  
(किस्तों पर आवंटन हेतु)  
₹ 37.17 लाख,

**पंजीकरण धनराशि**  
(सामान्य श्रेणी) ₹ 5.34 लाख  
(आरक्षित श्रेणी) ₹ 1.77 लाख

### स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड मध्यम आय वर्ग भवन

80/122 प्रकार के भवन (28 नग)

प्लॉट एरिया 80.00 वर्ग मी०,  
कारपेट एरिया 59.98 वर्ग मी०  
**क्षेत्रफल 121.89 वर्ग मी०**

**अनुमानित मूल्य** (एकमुश्त भुगतान/  
किस्तों पर आवंटन हेतु)  
₹ 58.85 लाख

**पंजीकरण धनराशि**  
(सामान्य श्रेणी) ₹ 5.89 लाख  
(आरक्षित श्रेणी) ₹ 2.94 लाख

पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण  
धनराशि के समायोजन के उपरान्त 30  
दिन में जमा की जाने वाली प्रथम किस्त  
की अनुमानित धनराशि (₹ लाख)

(सामान्य श्रेणी) ₹ 11.77 लाख  
(आरक्षित श्रेणी) ₹ 14.72 लाख

अवशेष धनराशि का भुगतान  
12 समान त्रैमासिक किस्तों में

### नियम एवं शर्तें

- आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किस्त की धनराशि निर्धारित अवशेष के अन्दर बैंक कार्यालयसमें सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकती। ● किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9 प्रतिशत व्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज की दर से देव होगी। आवंटी द्वारा सम्बन्धित भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/स्व-वित्तपोषित योजना के नियर्तीकरण एवं कटौती की जाएगी। ● सामान्य पंजीकरण/स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दोनों श्रेणी के भवनों हेतु एकमुश्त एवं किस्तों में विकल्प, दोनों आवेदन योग्य होंगे। एकमुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जाएगी। आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत विकल्प की विशेष छूट अनुमत्य होगी। ● लॉन्चरी ड्रॉ सम्प्रथम एकमुश्त भुगतान वाले आवेदकों के मध्य किया जाएगा। यदि उसके पश्चात भवन अवशेष रहते हैं तो किसीको के विकल्प वाले आवेदकों के मध्य लॉन्चरी ड्रॉ द्वारा आवंटन किया जाएगा। ● पूर्ण-अ एवं पूर्ण-ब के भवनों का भौतिक कब्जा परिषद द्वारा पात्रता चयन तिथि से 36 माह में प्रदान किया जाएगा। ● सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों में एकमुश्त विकल्प देने पर स्व-वित्तपोषित योजना के प्राविधिकों के अनुरूप मांग पत्र/मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ● स्व-वित्तपोषित भवन की व्यापक आय सीमा प्रतिवर्षित नहीं है। किसी सामान्य पंजीकरण हेतु अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ₹ 6.00 लाख की वार्षिक आय सीमा निर्धारित है। ● पंजीकरण हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें। ● परिषद विनियमों के प्राविधिकों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किसी विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा। किसी विषय अथवा वाद-विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अनित्य एवं बाध्यकारी होगा।

### पंजीकरण शुल्क

₹ 1000/- जी.एस.टी. सहित

● ऑनलाइन आवेदन हेतु  
सुविधा प्रदान बैंक

### एचडीएफरी बैंक

भूल-29/4, पुराना-16,  
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

सम्बन्धित अधिकारी

प्रियंका श्रीवारत्तव

मो. 8795249771

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें

इ० ढी०के० श्रीवारत्तव (अधीक्षण अभियन्ता,  
अवश विहार वृत्त, लखनऊ) 87958111578

इ० उदयवीर सिंह (अधिकारी सम्पर्क,  
निर्माण खण्ड लखनऊ-०६) 8795810363

श्री प्रफुल कुमार श्रीवारत्तव (उप आवास आयुक्त,  
लखनऊ जो) 8795810012

श्री महबूब खान (सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति  
प्रबन्ध कार्यालय, अवश विहार योजना) 8795810954

### उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें  
1800-180-5333 दूरध्वा 0522-2236803  
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।